साक्षर भारत

कानूनी साक्षरता शृंखला - 9

रमेश को मिला न्याय

(निःशुल्क विधिक सहायता)

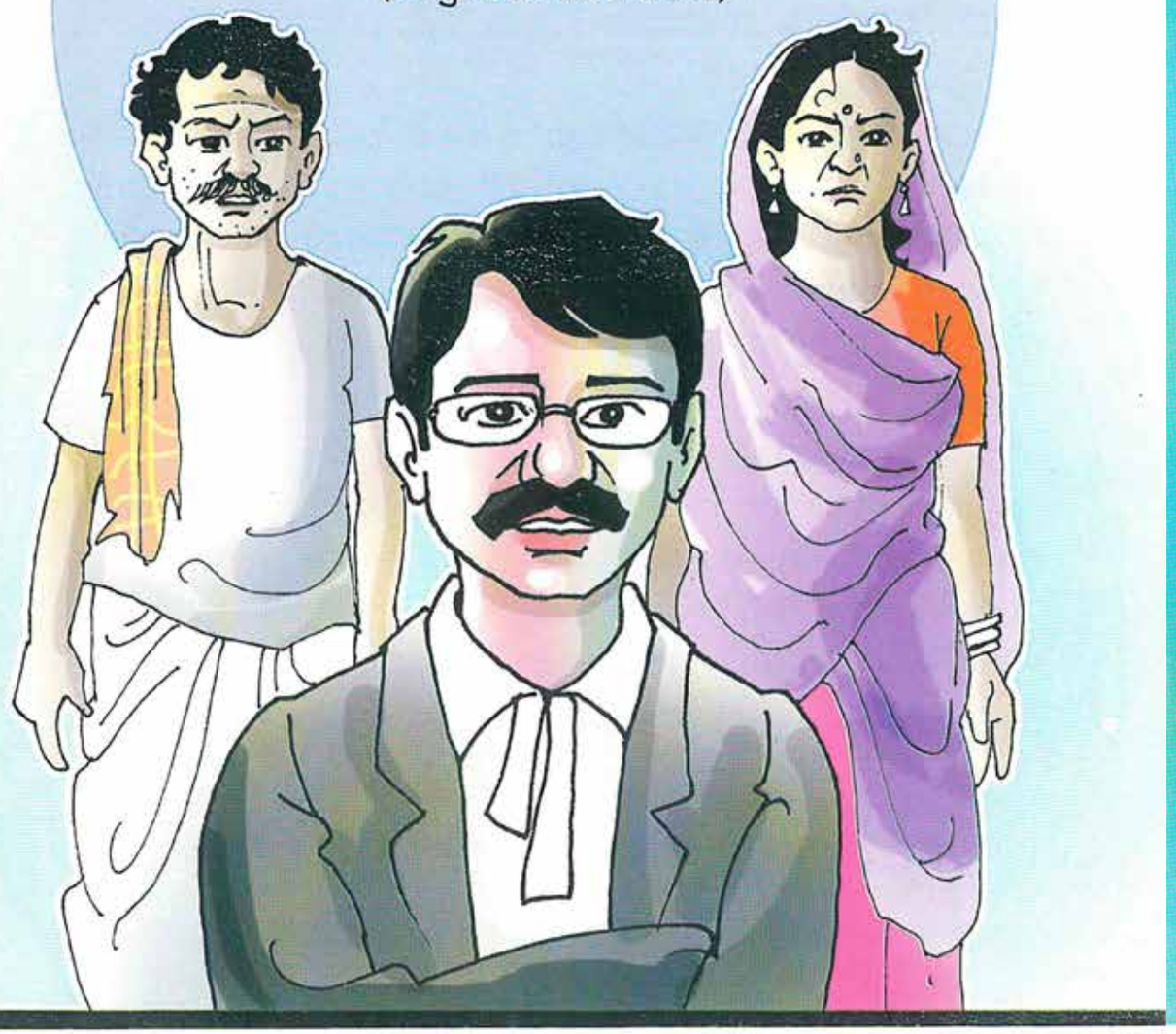

आभार

साक्षर भारत कार्यक्रम सितम्बर 2009 में प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत देश के निम्न महिला साक्षरता दर वाले 410 जिलों को सम्मिलित किया गया है। साक्षर भारत कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय है। कार्यक्रम में बुनियादी साक्षरता के साथ-साथ समतुल्यता कार्यक्रम, कौशल विकास व सतत् शिक्षा को भी जोड़ा गया है।

साक्षरता को शिक्षार्थियों/लाभार्थियों के दैनिक जीवन से अधिक जुड़ा हुआ व रोचक बनाने के उद्देश्य से इन्टरपर्सनल मीडिया कैम्पेन प्रारंभ किया गया है। कैम्पेन में जिन प्रमुख विषयों पर बल दिया जा रहा है उनमें कानूनी साक्षरता भी एक प्रमुख विषय है।

कानूनी साक्षरता की जानकारी सहज रूप में जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कानूनी साक्षरता शृंखला का निर्माण किया गया है। कानूनी साक्षरता सामग्री का निर्माण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यशाला में राज्य संसाधन केन्द्र, इंदौर, भोपाल, रांची, पलामू के साथियों द्वारा विषय विशेषज्ञों तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के मार्गदर्शन में किया गया है।

कानूनी साक्षरता सामग्री के निर्माण में न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार व यूएनडीपी के A2J प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट टीम द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया व सामग्री का अनुमोदन न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण सभी सहयोगी संस्थाओं/विभागों के प्रति आभार व्यक्त करता है। आशा है कि यह सामग्री कानूनी साक्षरता के प्रति जन सामान्य में कानूनी जागरूकता लाने में उपयोगी सिद्ध होगी।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

रमेश को मिला न्याय

रमेश नवागढ़ गांव का एक मजदूर था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा, बेटी छाया व बेटा हरी थे। रमेश के बूढ़े मां-बाप भी उसके साथ रहते थे। रमेश और राधा खेतों में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे।

रमेश के मोहल्ले में कुशल नामक किसान रहता था। उसके पास गांव में पांच एकड़ जमीन थी। वह रमेश और उसकी पत्नी राधा को अपने खेत में मजदूरी पर बुलाता था। लेकिन रमेश और राधा उसके यहां मजदूरी करने नहीं जाते थे, क्योंकि कुशल राधा को गलत निगाह से देखता था। एक बार राधा व रमेश, कुशल के यहां बीज बोने गए। कुशल ने रमेश को अपने घर हल लेने भेजा। थोड़ी देर बाद वह राधा के साथ छेड़छाड़ करने लगा। तब से राधा और रमेश उसके यहां मजदूरी करने नहीं जाते। इस कारण कुशल के मन में उनसे बदला लेने की भावना थी।

एक दिन गांव के साहूकार के यहां गहने चोरी हो गए। साहूकार ने पुलिस थाने में रिपोर्ट की। पुलिस वाले गांव में पूछताछ करने लगे। कुशल बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि रमेश को चोरी के आरोप में फंसा देने का यह एक अच्छा मौका

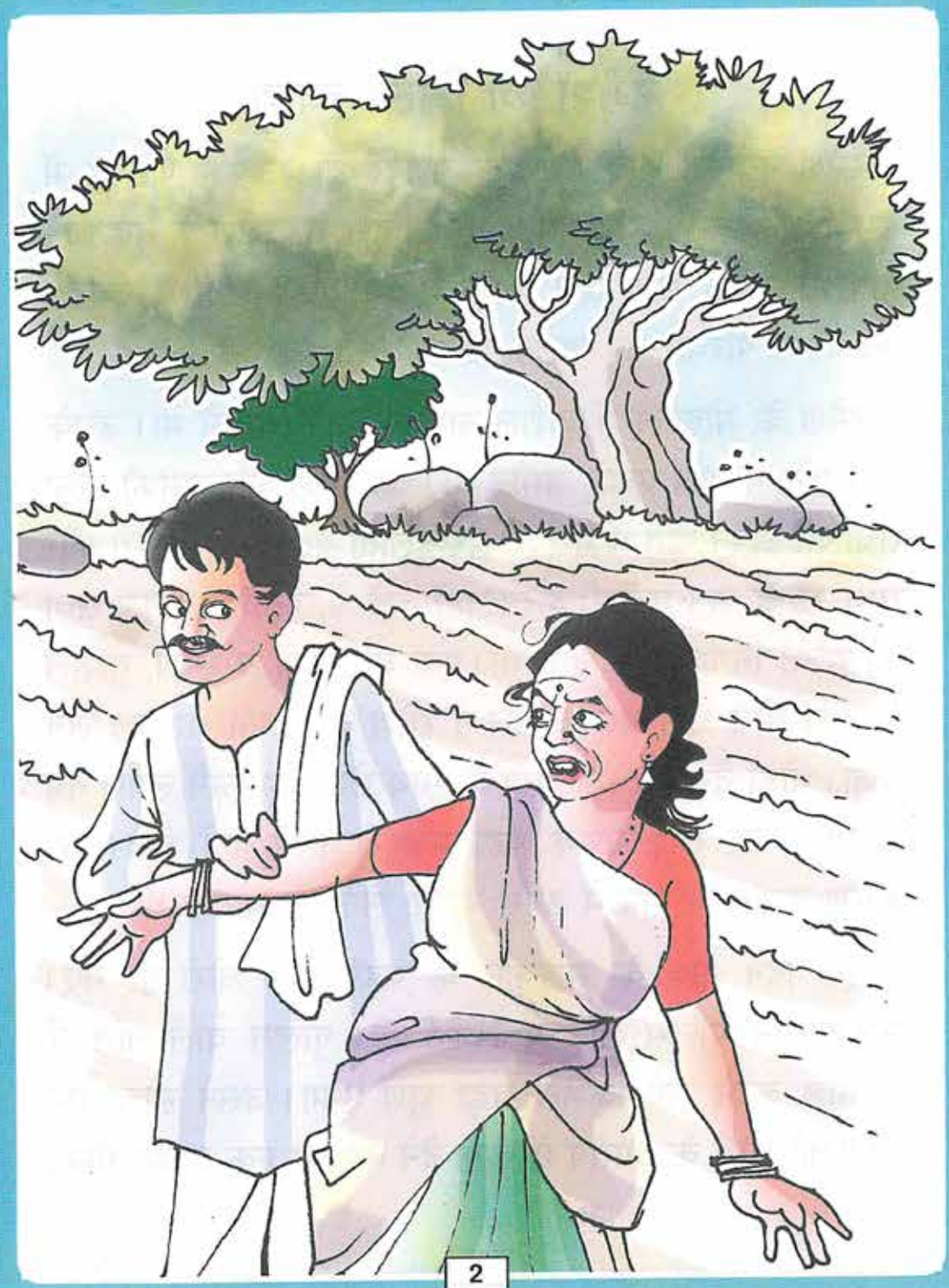

है। रमेश जेल जाएगा। तब राधा मेरे पास दया की भीख मांगेगी क्योंकि तहसील का वकील मोहन मेरे पास आता है।

कुशल ने जांच करने आई पुलिस को बताया- 'रमेश ने ही चोरी की है।'

पुलिस को रमेश के घर के सामने साहूकार के यहां के कुछ गहने पड़े मिले। पुलिस ने गहने जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया। पुलिस का शक रमेश पर गया। पुलिस ने रमेश के घर छापा मारा। पूरा घर छान मारा, मगर कुछ नहीं मिला। पुलिस, रमेश को गिरफ्तार कर ले गई। राधा व बूढ़े मां-बाप घबराने लगे। राधा बोली- 'मेरे पति को जेल से कौन बचाएगा? हमारे पास तो खर्च करने व वकील को फीस देने के पैसे भी नहीं हैं।'

राधा की बात सुन तुरंत हरी बोला- 'मां घबराने की बात नहीं है। मैंने बस स्टेशन के पास नि:शुल्क (मुफ्त) कानूनी सहायता केन्द्र का बोर्ड लगा हुआ देखा था। वहां दो वकील गांव के सरपंच से बात कर रहे थे। वे बता रहे थे कि गरीबों के लिए सरकार ने न्याय दिलाने की व्यवस्था की है। हम उस ऑफिस में चलते हैं और पापा को छुड़ाने की कोशिश करते हैं।'

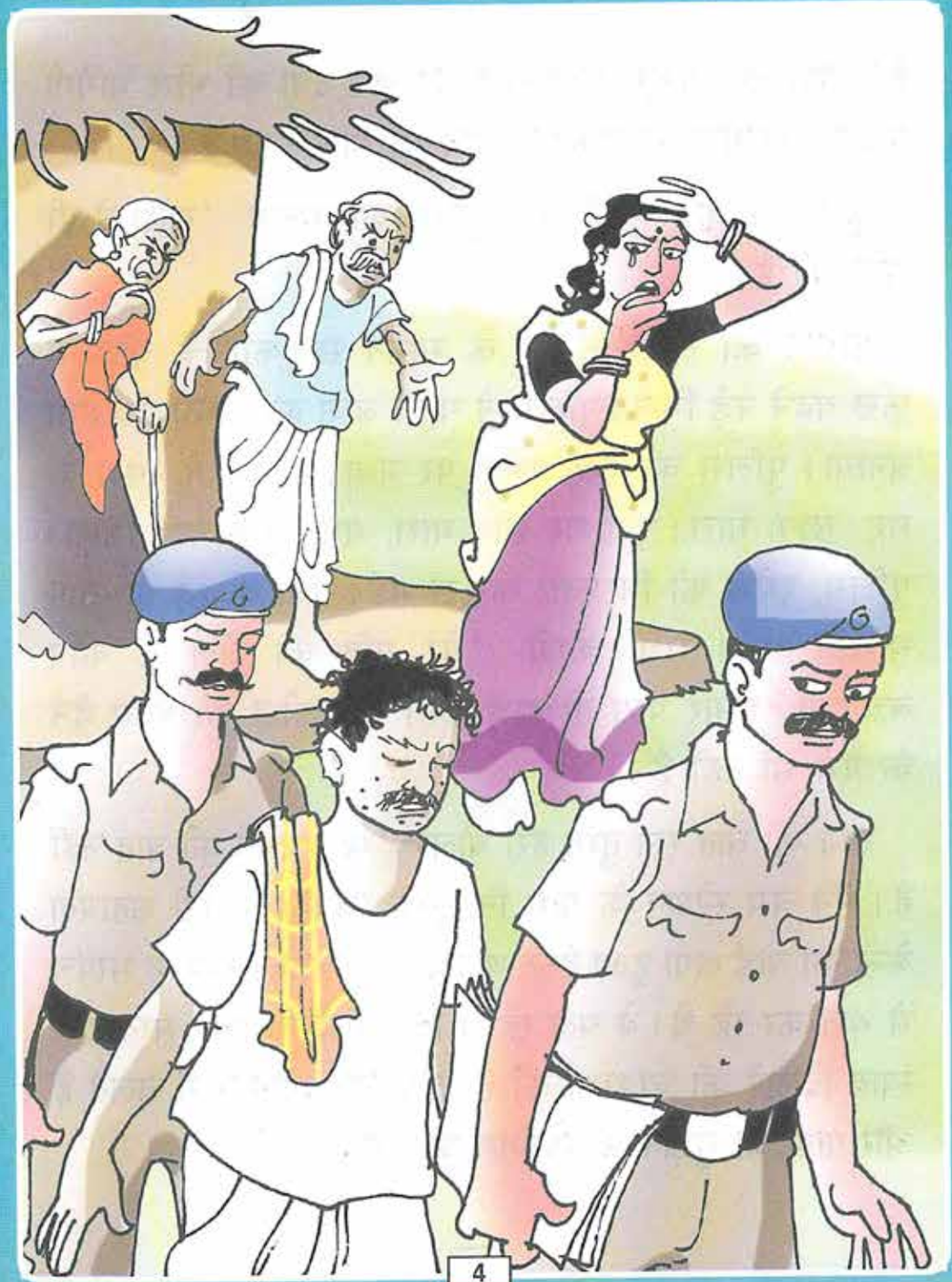

राधा की घबराहट कम हुई। वे मुफ्त कानूनी सहायता केन्द्र गए। वहां वकील से बातचीत की।

दूसरे दिन रमेश को पुलिस ने जज साहब के सामने पेश किया।

जज साहब ने रमेश से पूछताछ की। रमेश ने जज साहब को बताया कि उसने चोरी नहीं की है। उसे चोरी के झूठे आरोप में फंसाया गया है। पुलिस वालों ने उसे जबरन थाने में बंद कर दिया है। उसका परिवार मेहनत-मजदूरी कर गुजारा करता है। वह चोर नहीं है, न ही उसके पास चोरी का माल है।

जज साहब ने रमेश से पूछा- तुम्हारा कोई वकील है जो तुम्हारा मुकदमा लड़ सके और तुम्हें न्याय दिला सके?

रमेश ने कहा- हम गरीब हैं। पढ़ना-लिखना नहीं जानते हैं। हम मुकदमा कैसे लड़ सकते हैं? वकील को देने के लिए हमारे पास रुपया नहीं है। मुझे जेल से कब रिहा करेंगे? मुझे मजदूरी पर जाना है ताकि परिवार का गुजारा हो सके।

जज साहब ने रमेश की बातों को ध्यान से सुना। रमेश से कहा- हम तुम्हें सरकारी खर्च पर वकील करवा देते हैं।

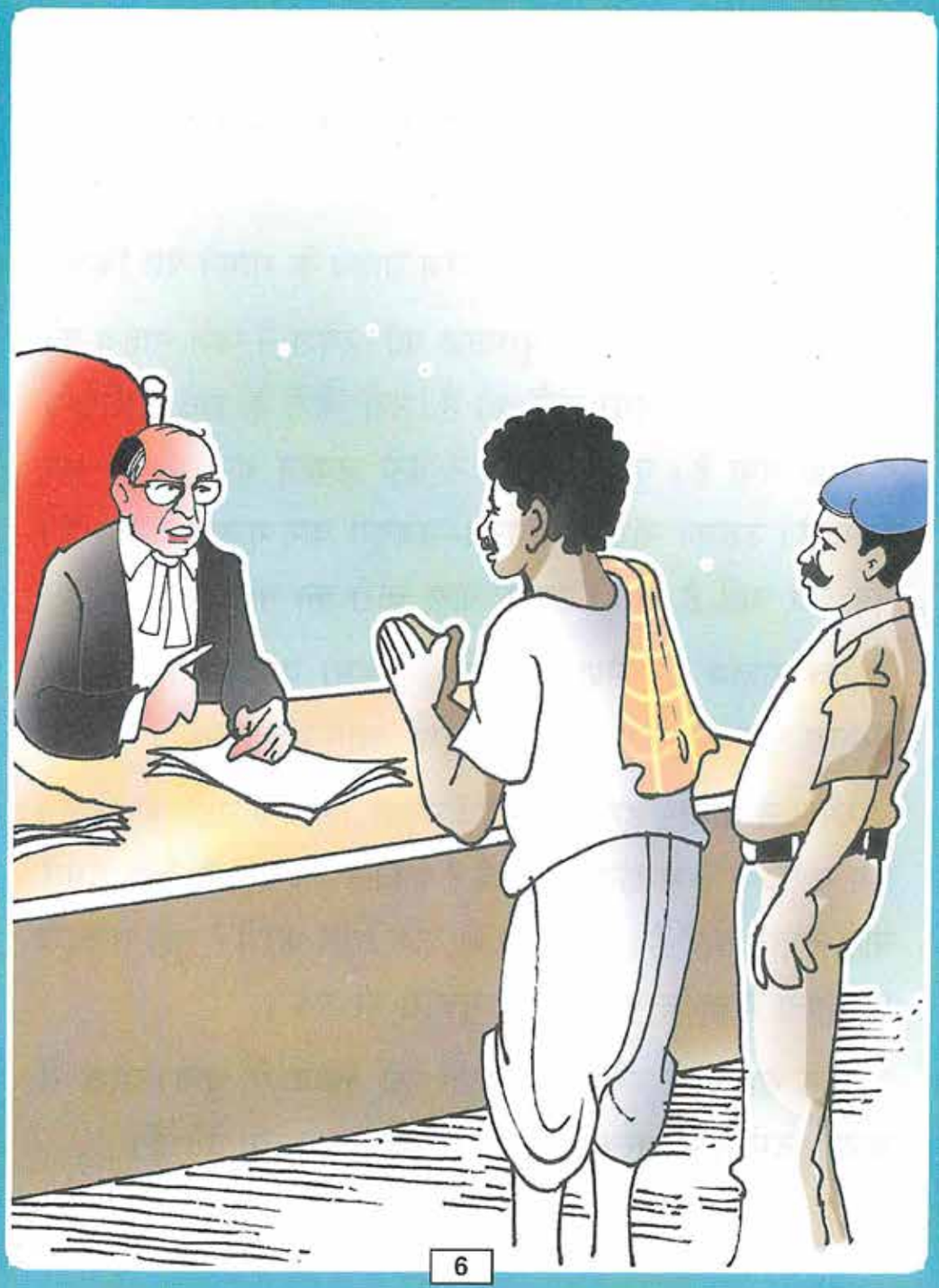

मुफ्त कानूनी सहायता केन्द्र के वकील जज साहब के सामने पहुंचे। राधा व हरी भी वकील के साथ थे।

वकील साहब ने तुरंत जमानत के कागजात पेश किए। जज साहब को सारी सच्चाई बताई। रमेश को जमानत पर छोड़ने का निवेदन किया।

जज साहब ने रमेश को जमानत पर रिहा कर दिया।

पुलिस ने रमेश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। नि:शुल्क कानूनी सहायता देने वाले वकील ने रमेश के पक्ष में मुकदमा लड़ा। अंतिम बहस में जज साहब को बताया कि रमेश निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। चोरी का सामान भी उससे जब्त नहीं किया गया है। पुलिस, रमेश के विरुद्ध कोई गवाह व सबूत पेश नहीं कर सकी।

जज साहब ने सारे सबूतों, गवाहों और रमेश के वकील की बहस सुनी। उसके बाद फैसला दिया- रमेश के विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ। उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए।

❑

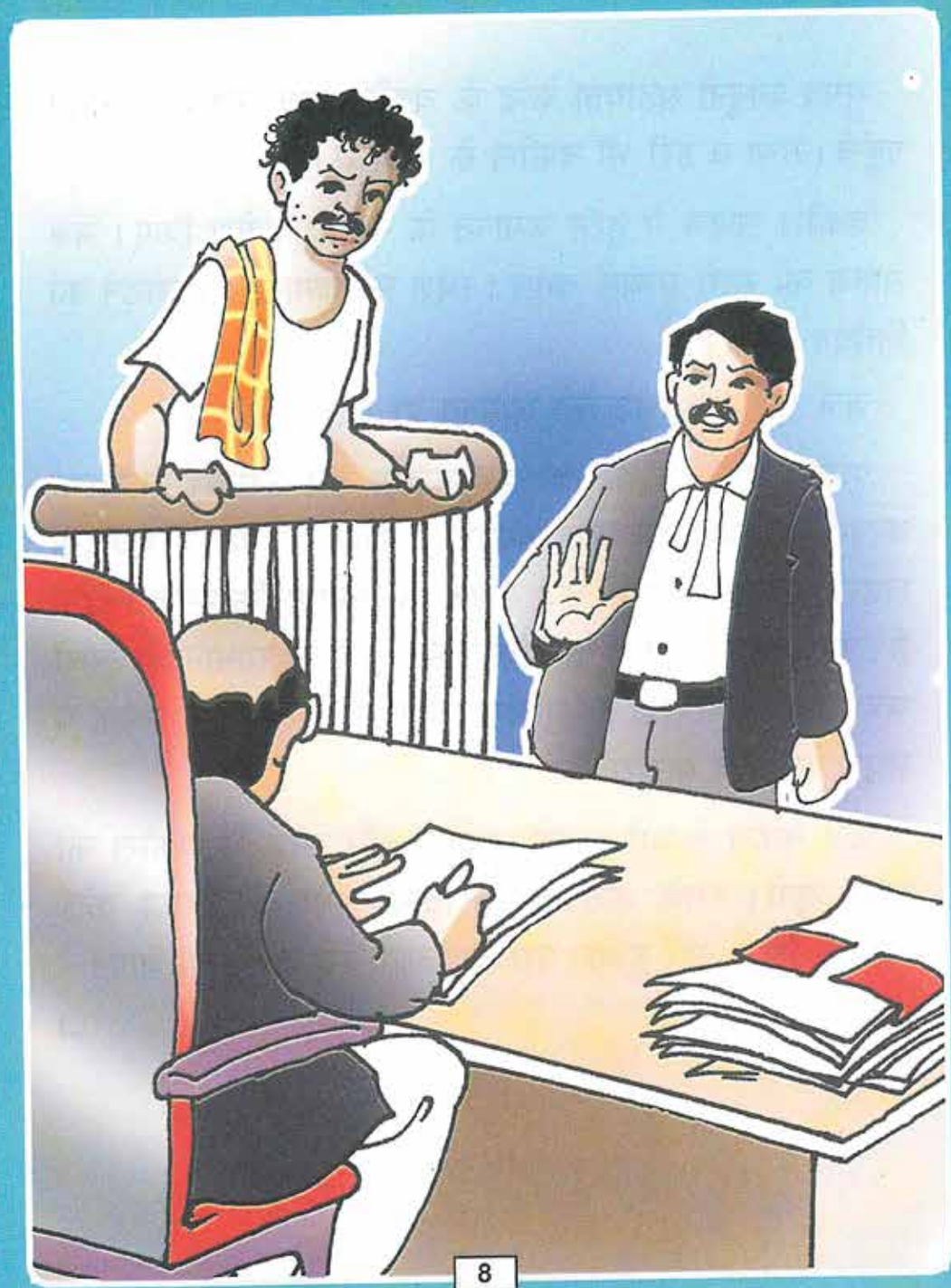

निःशुल्क कानूनी सहायता

हर नागरिक को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। गरीब व अशिक्षित व्यक्ति कोर्ट खर्च, वकील फीस आदि नहीं दे सकता है। इसलिए सरकार ने निःशुल्क (मुफ्त) कानूनी सलाह व सहायता दिलाने का कानून बनाया है जिससे जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को मुफ्त में न्याय मिल सके।

इस सुविधा का लाभ कौन प्राप्त कर सकता है :

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग।
- अवैध मानव व्यापार के शिकार लोग।
- ऐसे लोग जिनसे भीख मंगवाई जाती है।
- महिलाएं और बच्चे।
- मानसिक रोगी और विकलांग।
- जाति हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप या अन्य आपदा से पीड़ित लोग।
- कारखाने में काम करने वाले लोग।
- नारी निकेतन, किशोर गृह या मानसिक रोगी गृह के लोग।
- वे लोग जिनकी सालाना आमदनी एक लाख से कम हो।
- शहीद सैनिकों के आश्रित।
- जेल में बंद व्यक्ति।

तहसील, जिला, राज्य व केन्द्र के स्तर पर कानूनी सहायता व सलाह मुफ्त में मिलती है। इन सभी जगह सरकार ने कानूनी सहायता अधिकारी की नियुक्ति की है। सहायता अधिकारी को आवेदन-पत्र देकर मुफ्त कानूनी सहायता व सलाह प्राप्त कर सकते हैं।

कुछ खास बातें :

- यह सुविधा पूरी तरह मुफ्त है।
- आपको हमेशा योग्य वकील की नि:शुल्क मदद मिलेगी।
- आवेदक को सही जानकारी दी जाती है।
- जरूरी कागजात मुफ्त में तैयार किए जाते हैं।
- आवेदक तनाव व चिंता मुक्त रहता है।
- जन सामान्य से जुड़े किसी महत्वपूर्ण मामले में मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकेगी।
- मुफ्त कानूनी सहायता व सलाह नहीं मिलने पर उसकी शिकायत जिला न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश से की जा सकती है।
- आपसी सुलह से मामला शीघ्र निपटाया जा सकता है।
- नि:शुल्क कानूनी सहायता तहसीलदार, एसडीओ, कलेक्टर, कमिश्नर, तहसील अदालत, जिला अदालत, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में मिलती है।

कानूनी सहायता कैसे प्राप्त की जा सकती है :

जिस व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता या सलाह की जरूरत है वह नि:शुल्क कानूनी सहायता व सलाह केन्द्र पर जाकर संबंधित अधिकारी को आवेदन-पत्र देकर सहायता प्राप्त कर सकता है। आवेदन-पत्र में निम्नलिखित जानकारी दें-

- आवेदनकर्ता का नाम।
- पिता का नाम।
- निवास स्थान।
- उम्र।
- किस प्रकार की सहायता चाहिए।
- मामले का विवरण।
- स्वयं की आर्थिक स्थिति।

उपरोक्त जानकारी निर्धारित प्रारूप में भरकर नि:शुल्क कानूनी सहायता या सलाह केन्द्र को दे सकते हैं। अधिकारी मामले की प्रारंभिक जांच कर उचित कानूनी सहायता प्रदान करेंगे।

❑

कानूनी साक्षरता शृंखला पुस्तिकाएं

शीर्षक	शृंखला क्रमांक
◆ **आंखे खुल गईं** (भारतीय नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य)	1
◆ **और बात बन गई** (गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम 1994 व संशोधित 2003)	2
◆ **रमा की पाठशाला** (शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009)	3
◆ **गरिमा का सवाल** (यौन हिंसा के विरुद्ध कानून 2013)	4
◆ **दहेज परंपरा नहीं अभिशाप** (दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961)	5
◆ **आशा की किरण** (घरेलू हिंसा से संरक्षण 2005)	6
◆ **अब कोई भूखा न रहे** (खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013)	7
◆ **अत्याचार का अंत** (अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989)	8
◆ **रमेश को मिला न्याय** (नि:शुल्क विधिक सहायता)	9
◆ **हमारे जंगल - हमारी धरोहर** (अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008)	10
◆ **यूं बनी सड़क** (भू-अधिग्रहण कानून 2013)	11
◆ **भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं**	12

राज्य संदर्भ केंद्र

राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति

7-ए, झालाना संस्थान क्षेत्र, जयपुर-302004

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

भारत सरकार, नई दिल्ली 110001

वेबसाइट : www.mhrd.gov.in, www.Mygov.in